रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1986/चैत्र 27, 1908

No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1986/CHAITRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 88-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

विषय :—विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए 43 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत उपस्कर और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें।

मि. सं. आईपीसी/23(25)/85-88 :—विश्व भारती विश्व विद्यालय के लिए 1985-86 के लिए 43 मिलियन (43,000,000) येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत आयात को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 88—आई टी सी (पी एन)/85-88 दिनांक 17-4-86 के लिए परिशिष्ट

1985-86 के लिए 43 मिलियन (43,000,000) येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत में उपस्कर के आयात और इस उपस्कर को भारत के पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1(1) 1985-86 के लिए 43 मिलियन येन (लागत और भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य विश्व भारती विश्व विद्यालय द्वारा उपस्कर के आयात के लिए जापानी संभरकों को भुगतान करने के लिए और भारत के पत्तनों पर उसको लाने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग करना है।

1(2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस 48 मिलियन येन (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिए और उन पर एक शीर्षक "1985-86 के लिए 43 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता" होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे एन" होगा।

1(3) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को बैंक खर्च जिसका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा यदि कोई हो, के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेंट के कमीशन के प्रति यदि कोई भुगतान हो तो वह एजेंट को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) इस अनुदान सहायता के अधीन उपस्कर केवल जापान से प्राप्त किया जाना चाहिए।

1(5) आयात लाइसेंस 30-9-1986 तक की वैधता के साथ लागत बीमा भाड़ा आधार पर जारी किया जाएगा।

1(6) संविदा में नगद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो की जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"सुपुर्दगी 15-9-1986 तक पूर्ण की जानी है"

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत तथा भाड़ा आधार पर) येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन के भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट का कमीशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत और भाड़ा धन राशि अलग-अलग प्रदर्शित की जानी चाहिए परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगा।

1(8) क्रय संविदा केवल जापानी राष्ट्रिकों या जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी न्यायिक व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए।

खण्ड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रुप से समविष्ट होने चाहिए :—

2(1) 1985-86 के लिए 43 मिलियन येन की अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18 फरवरी, 1986 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1985-86 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए छः सप्ताह पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो, अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-3 भारत सरकार और जापान सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

3(1) आदेशों को अंतिम रूप दिए जाने पर लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियां या जापानी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की पांच प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में "(ए/पी) जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियों सहित अवर सचिव (टी सी) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा उन सभी संशोधनों के लिए भी लागू होगी जिनके कारण संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत में आशोधन करने पड़े।

3(2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1985-86 के लिए 43 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के वितरण देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सेट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक

"भुगतान प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरक को अपने बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन प्रेषित करके निर्णीत किया जाएगा।

खण्ड—4 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-1 के रूप में उल्लिखित है, की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 सार्वजनिक सूचना सं. 35-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयत-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंस धारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने के पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी है कि देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक से जमा करवा दी गई है जबकि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त की हो उस मामले में जब आयातक सरकार को देय धनराशि माल छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ होता है तो उसे आगे एल ए एस जारी करना रोक दिया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843-सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फॉर परचेजिंग एक्सट्रा-एड्राड-परचेजिज अन्डर ग्रान्ट एंड फ्राम गवर्नमेंट, आफ जापान (फार 1985-86 ग्रान्ट फॉर परचेस आफ दि इक्विपमेन्ट एण्ड सर्विसेस फार दि परपज आफ प्रोमीटिंग फाइन आर्टस एग्रीकल्चरल एडयूकेशन एण्ड अडल्ट एडयूकेशन प्रोग्राम इन इंडिया" है।

4(2) चालान के दाएं कोने में कोड नं. 5130000009 दर्शाते हुए उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 (हुण्डी ग्राह्य और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं. 104-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं. 233-आई टी सी/पी एन/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 123-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

4(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चियत कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन प्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो)" के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

(क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की सं. और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए वह गिना गया है।

(ङ.) जमा की गई कुल धनराशि।

ब्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है। उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : — भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—5 विविध शर्तें

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

संभरक को किए गए भुगतानों की धनराशियों और तिथियों का सुनिश्चय करने के लिए आयातक को अलग व्यवस्था करनी चाहिए। आयातकों के बैंकर द्वारा लदान दस्तावेजों की देरी या विलम्ब से प्राप्ति के कारण रुपया निक्षेपों पर देय ब्याज की आंशिक या पूर्ण धनराशि में छूट नहीं दी जाएगी।

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए एण्ड ए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो।

अनुबन्ध-I

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

(ए/पी) सं०

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू.सी.ओ. बैंक, बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001.

विषय : — 1985-86 के लिए येन 43 मिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से .....उपस्कर और उपस्कर को भारत में पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हैं जिससे कि आप संबद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और तिथि जब तक यह वैध है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके—क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है? इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट

करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(ब) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) जापानी सम्भरक का नाम और पता और पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करें (दो प्रतियों में)

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अंतर्गत भुगतान तय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें)। प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (आहतान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—"हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपए की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने के पूर्व राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।"

(थ) वे भारतीय पत्तन जहां उपस्कर/सामग्री जहाज द्वारा आनी है।

भवदीय,

अनुबन्ध-2

संख्या एफ,
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय : 1985-86 के लिए 43 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में ..... उपस्कर और उस उपस्कर को भारत में पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ ..... को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न प्रपत्र (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री ..... के नाम में ..... येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पात्रता के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4 विदेशी संभरक को भुगतान करने पर, आपको ..... (आयातक के बैंकर का नाम व पता) को सभी मूल पोतलदान दस्तावेजों (परक्राम्य) के साथ-साथ दस्तावेजों का एक पूरा सेट और नकद भुगतान सहित, यदि कोई हो तो, संभरक को किए गए भुगतानों के लिए एक नामे बीजक की एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको दस्तावेजों को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया

जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंकों को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र ..... तक वैध रहेगा।

9 कृपया इस करार एवं भुगतान दिखाने वाले बीजकों में भी, सभी पत्राचार के संबंध में इस भुगतान प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या उद्धरित करें।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ..... को उनके पत्र सं० ..... दिनांक ..... के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध किया जाता है कि ये बैंकरों से परकाम्य दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपए निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए। शीघ्र ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

2. आयातक का बैंक ..... (1) यह भुगतान प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अन्तर्गत आयातों पर शासित संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया है। आयातों/विदेशी भुगतानों के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं, आदेशों इत्यादि को हवाले के लिए देखा जाए तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो आफ से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों की येन ..... के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाएं, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं.-31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-1983 तथा सं 35-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 26-8-1983 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

(3) चालान के दाएं कोने में कोड नं. 5130000009 दर्शाते हुए ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं.-233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं.-74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं.-103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के-डिपोजिट एण्ड एडवांसिज-843 मिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फार परचेजिस एटसैट्रा एब्राड—परचेजिस ग्राण्ट एंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1985-86 है और विस्तृत लेखा शीर्षक "येन 43 मिलियन ग्रान्ट एण्ड फार परचेज आफ इक्विपमेंट/सर्विसेज फार दि परचेज आफ प्रोमोटिंग द फाइन आर्टस, एग्रीकल्चरल एजूकेशन एण्ड एडल्ट एजूकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया" है।

(4) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-1-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएंगे :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

(5) जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(6) समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग एवं और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे इंडियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

(7) विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत डीलर के रूप में बैंक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए डी परिपत्रों में निर्धारित किया गया है। इस संबंध में ए डी परिपत्र सं. 22 दिनांक 18-6-77 की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अवर सचिव (टी सी) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके दिनांक .... के आई डी सं .... के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 88-ITC(PN)|85—88

New Delhi, the 17th April, 1986

Subject :—Licensing conditions for import of equipment and services under the Japanese Grant Aid of Yen 43 Million for Viswa Bharati University.

F. No. IPC|23(25)|85—88.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 43 Million (Yen 43,000,000) for 1985-86 for Viswa Bharati University, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 88-ITC(PN)|85—88 DATED THE 17TH APRIL,1986

Licensing conditions for import of equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1985-96 of Yen forty three million (Yen 43,000,000).

Section I. General Conditions:

I. (i) The Japanese Grant Aid for 1985-86 of Yen 43 million (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India, by the Viswa-Bharati University.

I. (ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 48 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 43 million Japanese Grant Aid for 1985-86". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN".

I. (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards India Agents Commission, if any, should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I. (iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I. (v) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 30-9-1986.

I. (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-9-1986."

I. (vii) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agents' Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I. (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controller by Japanese nationals.

Section II. The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:

II. (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th February, 86 between the Government of India and the Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 43 million for 1985-96 and will be subject to the approval of both the Governments.

II. (ii) Payments to suppliers shall be made through an "Authorisation to Pay" (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in

favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1985-86.

II. (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other hand.

II. (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III. Contract Approval by Governments of India and Japan

III. (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex. I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III. (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1985-86 of Yen 43 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III(iii) On receipt of the contract approval from the Govt. of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts and Audit, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an "Authorisation to Pay" (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be ensorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importers' Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III. (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India Tokyo, the importers' Bank in India and CAA&A.

III. (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the B.O.I., Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III. (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importers' bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channel without effecting the Government of India's account.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV. (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo to the concerned importers' bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India's account in terms of the Public Notice No. 31-ITC (PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into the Government account vide Public Notice No. 74, ITC(PN)|74 dt. 31-5-1974, as modified under Public Notice No. 103 ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Govt. from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A|P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—purchase under Grant Aid from the Government of Japan—for 1985-86". Grant for purchase of the equipment and services for the purpose of promoting fine arts agricultural education and adult education programmes in India.

IV. (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice Nos. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974, and No. 103-ITC(PN)76 dated 12-10-1976.

IV. (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

NOTE :—Importers' Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV. (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V. Micellaneous provisions :-

V. (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid—

The importers should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the Importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any specia provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V. (ii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importers and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V (iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1985-86 from Japan.

V. (v) Breach or Violtion

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V. (vi) List of Annexures

Annexure I—Request for issue of A|P

Annexure II—Form of A|P.

Annexure I

REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY (A|P)

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Import of .....equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 43 million for 1985-86.

.....

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

(a) Name and address of Indian importer.

(b) No., date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—Whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of the contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any payable in Indian rupees.

(h) Net C & F value in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name and date of the contract with Japanese suppliers.

(j) Name and address of Japanese supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate).

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of importrs' bank in India.

(p) Undertaking by the importer : "We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equipment etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by the Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In the case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

(q) Indian port to which the equipment|materials are to be shipped.

Yours faithfully,

( )

Annexure II

No. F.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

.....

New Delhi, the .....

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
(Tokyo (Japan).

Subject : Import of .....equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 43 million for 1985-86. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated .....entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen.....to M|s .....as per details given in the appendix.

2. Please advise the supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign supplier, you should send to ——————(name & address of Importers' Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment, if any.

5. Banking charges including charges for handling documents and charges of the Overseas Suppliers Bankers if any payable to you by the importer, will be settled directly by the importers' bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importers' bank.

7. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This A|P will remain valid upto.....

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

( )

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer M|s. .....with reference to their letter No. ..... dated .....They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the licensing conditions.

2. Importers' Banker .....

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant Licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices Orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import| foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equipment of the Yen payment to the Japanese suppliers, on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976, or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12 per cent per annum for the first 30 days and at the rate of 18 per cent per annum for the period in excess thereof recokned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government account in terms of Public Notices No. 31-IT(PN)|83 dated 10-8-1983 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan, or in the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI, or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the SBI. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-71, No. 74-ITC-(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The Head of Account to be credited is "K—Deposits & Advances—843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad—Purchases under Grant Aid of Yen 43 million from the Government of Japan for 1985-86" under detailed head "Yen 43 million grant and for purchase of the equipment & services for the purpose of promoting the fine arts, agricultural education and adult education programmes in India."

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the B.O.I., Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968, mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the B.O.I., Tokyo.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. Circulars of the R.B.I. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dated 18-6-1977.

3. The Embassy of India, Tokyo

4. The Under Secretary (TC), Min. of Finance, Deptt. of Economic Affairs. New Delhi with reference to I.D. No. .....|Jap. dated.....

(Accounts Officer)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986